पत्र सं0- ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/ मु0-1/स0प0/फार्म-सी सत्यापन/13-14/ 1318 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्य कर, उ0 प्र0।

(वि0अनु0शा0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक: 18, अगस्त,2017

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उ0प्र0
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर, उ0प्र0
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/कार्पोरेट सेल), वाणिज्य कर, उ0प्र0
समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0

विषय: अन्तर्प्रान्तीय सम्व्यवहारों के सम्बंध में दाखिल फार्म-सी एवं फार्म-एफ के सत्यापन के सम्बंध में।

मुख्यालय के पत्र सं0- 2269 दिनांक 11.01.11 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा स्टाक ट्रांसफर से सम्बंधित सूचनाओं के सत्यापन हेतु समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उ0प्र0 को विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश आबंटित कर सत्यापित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

मुख्यालय के पत्र सं0-119 दिनांक 25.04.14 से समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उ0प्र0 को फार्म-सी के सत्यापन हेतु प्रान्त एवं केन्द्र शासित प्रदेश आबंटित करते हुये सत्यापन कराने के निर्देश दिये गये थे :--

क्र0सं0	एडी0कमि0 ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर	आबंटित प्रान्त एवं केन्द्र शासित प्रदेश
1.	आगरा	आन्ध्र प्रदेश
2.	अलीगढ़	राजस्थान
3.	इलाहाबाद	उड़ीसा
4.	बरेली	उत्तराखण्ड
5.	नोएडा	पंजाब, चंडीगढ़
6.	गोरखपुर	असम
7.	गाजियाबाद-प्रथम	दिल्ली, हरियाणा
8.	गाजियाबाद-द्वितीय	जम्मू कश्मीर
9.	झांसी	गुजरात, दादर एवं नागर हवेली व दमनदीव
10.	लखनऊ-प्रथम	महाराष्ट्र
11.	लखनऊ-द्वितीय	गोवा
12.	मेरठ	केरल
13.	मुरादाबाद	कर्नाटक
14.	सहारनपुर	हिमाचल प्रदेश
15.	वाराणसी-प्रथम	बिहार व झारखण्ड
16.	वाराणसी-द्वितीय	पश्चिम बंगाल
17.	कानपुर-प्रथम	मध्य प्रदेश
18.	कानपुर-द्वितीय	छत्तीसगढ़
19.	इटावा	तमिलनाडु व पाण्डुचेरी
20.	फैजाबाद	त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम

किन्तु सत्यापन सम्बंधी उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं की समीक्षा में यह पाया गया है कि वर्तमान में उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत फील्ड के अधिकारियों द्वारा फार्म-सी के सत्यापन के कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है ।मुख्यालय स्तर पर पाया गया कि उक्त आबंटित कतिपय प्रदेशों में अधिकारियों की टीम भेज कर फार्म सी/एफ का सत्यापन करवा कर राजस्व के क्षरण को रोका जा सकता है ।इस सम्बंध में तत्काल निम्नलिखित राज्यों में टीम भेज कर फार्मों के सत्यापन के निर्देश दिये जाते हैं:- 1- आन्ध्र प्रदेश, 2- राजस्थान, 3- उड़ीसा, 4- उत्तराखण्ड, 5- पंजाब, चंडीगढ़, 6- दिल्ली, 7- हरियाणा, 8- गुजरात, 9-महाराष्ट्र, 10- केरल, 11- कर्नाटक, 12- बिहार व झारखण्ड, 13- पश्चिम बंगाल, 14- मध्य प्रदेश, 15- छत्तीसगढ़, 16- तमिलनाडु ।

हरियाणा प्रान्त गाजियाबाद-प्रथम को आबंटित है तथा उन्ही को दिल्ली भी आबंटित है अत: निर्देशित किया जाता है कि हरियाणा राज्य में सत्यापन हेतु गाजियाबाद-प्रथम के स्थान पर गाजियाबाद द्वितीय जोन से टीम गठित की जाये ।

उक्त सम्बंध में निर्देश दिये जाते हैं कि रु0 1,00,000.00 या उससे अधिक धनराशि के फार्म-सी के सत्यापन का कार्य एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर अपने अधिकारियों की टीम गठित करके सम्बंधित राज्य में भेजकर सत्यापन करायेंगे । उक्त व्यवस्था में यदि कर निर्धारण स्तर पर दाखिल फार्म-सी/एफ संदिग्ध पाया जाता है तो ऐसे मामलों में रु0 01 लाख की सीमा लागू नहीं होगी । समस्त कर निर्धारक अधिकारियों को इस आशय का निर्देश दे दें कि उक्त राज्यों से प्राप्त फार्म-सी एवं एफ की सूची साफ्ट एवं हार्ड कापी (सम्बंधित फार्मों की फोटो प्रति के साथ) सम्बंधित राज्य के नोडल अधिकारी एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) को विलम्बतम् दिनांक 31-08-2017 तक प्राप्त करवा दें । सम्बंधित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) अपने जोन के अधिकारियों की एक टीम बनाकर माह सितम्बर-2017 में स्वयं को आबंटित राज्य में भेजकर फार्मों का सत्यापन करायेंगे । **टीम भेजने के 15 दिन पूर्व मुख्यालय को यात्रा अनुमोदन हेतु एवं सम्बंधित राज्य के कमिश्नर को सूचित करने हेतु पत्र लिखेंगे ।** अधिकारियों की टीम सम्बंधित राज्य के कमिश्नर से सम्पर्क करके पूर्ण दायित्व एवं निष्ठा से फार्मों के सत्यापन का कार्य करायेगी तथा सत्यापित एवं असत्यापित फार्मों की सूचना सम्बंधित कर निर्धारक अधिकारियों, जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर को उपलब्ध करायेगी ।एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 कृत कार्यवाही तथा परिणाम से मुख्यालय को 30-09-2017 तक अवगत करायें ।

उपर्युक्त संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि करनिर्धारण अधिकारियों के स्तर से प्रेषित फार्मों का सत्यापन सम्बंधित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) संदर्भित परिपत्र दिनांक 25-04-2014 से निर्धारित की गयी व्यवस्था एवं आबंटित जोन के अनुसार करते रहेंगे । उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

18/08/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।